आतंकवाद पर अंकुश लगाने के विचार

प्रो. सतीश चन्द्र पाण्डेय

आतंकवाद भारत के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। पिछले करीब तीन दशकों से भारत लगातार आतंकवाद का संकट झेलता ही आ रहा है। यहां जितने भी प्रकार का आतंकवाद है, सबको कहीं न कहीं विदेशों से ही किसी न किसी रूप में समर्थन प्राप्त होता है। पहले आतंकवादी किसी तरह सीमा पार कर भारत की सीमा में आते हैं। यहां फर्जी नाम-पते के आधार पर ठिकाना पाते हैं और फिर पहले से बिछे नेटवर्क की सहायता से संपर्क बढ़ाते हुए वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। किसी तरह घुसपैठ कर जो भारत के भीतर आ गए, उन पर अगर शुरुआती दौर में ही ध्यान दिया जा सके तो स्थितियां उतनी विकट नहीं होंगी जितनी हो गई हैं, लेकिन मुश्किल यही है कि इसका हमारे पास अब तक कोई सही इंतजाम नहीं बन पाया है। खासकर पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को रोकना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों के बीच कद-काठी और शक्ल के आधार पर फर्क कर पाना संभव ही नहीं है।

भारत में सबसे अधिक घुसपैठ पाकिस्तान से ही होती है। इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की भारत विरोधी मानसिकता है। वैसे तो पाकिस्तान का निर्माण ही इसी मानसिकता के तहत हुआ और इस मानसिकता को समझते हुए ही बड़ी संख्या में भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान अपने निर्माण के समय से ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा रहा है। जिस किसी भी मंच से उसे मौका मिला, वहीं उसने भारत विरोधी बयान दिए। भारत में सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने की साजिशें भी उसने रचीं, यह अलग बात है कि अपवादस्वरूप कुछ मामलों को छोड़कर इसमें वह कभी सफल नहीं हो सका। इसका एक कारण उसकी राजनीतिक मजबूरी भी रही है। वहां शुरू से आम नागरिकों को उनके अधिकार देने और विकास के उपाय करने के बजाय केवल कट्टरपंथी भावनाएं भड़काने पर जोर दिया गया। ऐसी स्थिति में विकास की अवस्था आज तक लगभग शून्य ही है। लोकतंत्र वहां केवल नाम का है, लेकिन जब भी कभी उन्हें जनता के बीच जाना पड़ता है तो सवालों का सामना करना शासकों के लिए संभव नहीं होता। तब उनके पास जनता को बरगलाने के लिए कश्मीर का राग अलापने और यहां आतंकवाद फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ऐसा तब है जबकि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच दो सीधी लड़ाइयां हो चकी हैं, जिनमें वह करारी हार का सामना कर चुका है। इस हार से पाकिस्तान किस कदर कुंठाग्रस्त हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार अपमानित होने के बावजूद न तो उसके हठी तेवर पर कोई फर्क पड़ा है और न नापाक इरादों पर ही। यह बात उसे साफ तौर पर पता चल चुकी है कि आमने-सामने की लड़ाई में चाहे कितनी भी धोखेबाजी कर ले, पर भारत से कभी टक्कर नहीं ले सकता। इसीलिए उसने घुसपैठ का तरीका चुना। पिछले करीब चार दशकों से वह हमारे देश में किसी न किसी बहाने अलगाववाद को हवा देता रहा और सीमा पार से चोरी-छिपे घुसपैठ कराने की साजिश करता रहा। भारतीय सेना के जवान उसकी ऐसी सभी साजिशों को बार-बार नाकाम करते रहे हैं। फिर भी उसकी ये सभी हरकतें अभी भी बदस्तूर जारी हैं। इनके लिए घुसपैठ का तरीका अब केवल स्थलीय मागरें तक ही सीमित नहीं रहा। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से वे जलमार्ग का प्रयोग भी इसके लिए करते आ रहे हैं। बात अब केवल इनकी पहचान और इन्हें रोकने के प्रयासों तक सीमित नहीं रही। अब जरूरत इन्हें रोकने के पुख्ता इंतजाम बनाने की है।

हाल ही में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में देश भर के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में इस मुद्दे पर बात की। पाकिस्तान बार-बार यह कहता रहा है कि उसने आतंकवाद का समर्थन नहीं किया और न ही भारत में घुसपैठ कराई। भारत में हुई आतंक की कई घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ होने के स्पष्ट प्रमाण मिलने और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत किए जाने के बावजूद पाकिस्तान इस बात से साफ मुकर जाता रहा है। गृहमंत्री ने कई प्रमाण गिनाते हुए यह प्रश्न उठाया कि क्या आइएसआइ भी नॉन स्टेट एक्टर है? इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। अब प्रश्न यह उठता है कि तालिबान शासन को मान्यता दिए जाने को अगर आतंकवादियों को राजनीतिक मान्यता देना नहीं तो और क्या कहा जाएगा?

सच तो यह है कि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में लगातार जलता रहा है। इसके बावजूद वह अपने दर्द को समझने और उसका सही इलाज करने के बजाय भारत में अशांति फैलाने में लगा हुआ है। सच यह है कि हर देश की तरह हमारे देश में भी कुछ क्षुद्र स्वार्थी तत्व हैं। वे धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों में पहले कट्टरपंथी भावनाएं भड़काते हैं और फिर उसे हवा देते हैं। आइएस से कुछ नौजवानों का जुड़ना यही संकेत देता है। आइएस और अलकायदा से आतंकवादी संगठनों के खतरे से राजनाथ सिंह आगाह करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप भी इसके राडार पर है।

यह अच्छी बात है कि नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से आतंकवादियों के साथ-साथ पाकिस्तान का

हौसला भी पस्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को सही अथरें में एक सूत्र में पिरोने के लिए जिस तरह कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तार तक दौरे करने शुरू किए हैं, इससे सभी अलगाववादी तत्वों का मनोबल गिरा है। इसीलिए अब ऐसे सभी संगठन अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हुए हैं। कश्मीर और छत्तीसगढ़ में इधर हुई वारदातें इसी का नतीजा हैं। इन्हें पूरी तरह पस्त करने के लिए जरूरी है कि देश के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ा जाए और बेरोजगारी की समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाए। इसके लिए अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण और विकास का संतुलन अनिवार्य होगा। बेहतर होगा कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में कदम बढ़ाए।
भारत में हुए कुछ आतंकवादी हमले
1993 का मुंबई ब्लास्ट
मुंबई में 26/11 हमला
14 फरवरी 1998 में कोयम्बटूर धमाका
1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला
13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला
24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हमला
29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट
11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन में धमाका
महाराष्ट्र के मालेगांव में 8 सितंबर, 2006 को हुए तीन धमाकों में 32 लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए।
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 19 फरवरी, 2007 को हुए धमाके में 66 यात्री मारे गए।
18 सितम्बर 2016 को किया गया उरी हमला, 18 जवान शहीद हो गए
अमेरिका में 9/11 हमला
पेशावर में स्कूल पर हमला
पेरिस में सिलसिलेवार आतंकी हमले
23 अक्टूबर 2002 को मॉस्को के थिएटर में हमला
सितंबर 2004 में रूस के बेसलैन स्कूल पर हमला
23 नवंबर, 2014 को अफगानिस्तान में आतंकी हमला
भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए क़ानूनी व्यवस्था
ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां (निवारण) संशोधन अधिनियम:

यह कानून पहली बार 1967 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना और इस प्रकार का माहौल पैदा करना था जिससे गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा ना मिल सके। इस एक्ट में ज़रूरत के अनुसार कई संशोधन भी किये गए। साल 2012 में किए गए संशोधन के ज़रिये इसमें आर्थिक अपराधों को भी शामिल कर लिया गया और आतंकवादी गतिविधियों को नए सिरे से परिभाषित किया गया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 और स्पेशल NIA कोर्ट की स्थापना
26/11 के पश्चात किये गये बदलाव
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई।
डेटाबेस मेन्टेन करने के लिहाज़ से नैटग्रिड की स्थापना की गई।
मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) का पुनर्गठन।
एनएसजी के चार नए केंद्रों की स्थापना।
तटीय सुरक्षा योजना का नवीनीकरण।
आतंकवाद के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग।
देशों के बीच परस्पर क़ानूनी सहायता संधि:

भारत ने अब तक 34 देशों के साथ इस तरह के संधि किये हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से मुकाबला करने के लिए एक नयी रूपरेखा जारी की है। इस रूपरेखा को 'संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद निरोधक समन्वय प्रभाव' नाम दिया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रमुख, 36 सांगठनिक निकायों, इंटरपोल और विश्व सीमाशुल्क संगठन के बीच समझौता है जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सदस्य देशों की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए किया गया है।
आगे क्या किया जाना चाहिए?
1. भारत को बड़े आतंकवादी हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक समग्र आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है

यानि घरेलू मोर्चे की सुरक्षा अहम् हो चुकी है।
2. पाकिस्तान को बेनक़ाब करने के लिए चौतरफा दबाव की जरूरत है।
3. सशस्त्र बलों और पुलिस में भारी सुधार यानी उन्हें उचित प्रशिक्षण और अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना होगा।
4. एनएसजी का और आधुनिकीकरण ज़रूरी है।
5. आंतकी हमले रोकने के लिए खुफिया सूचनाएं जुटाने के काम में समन्वय और उन पर प्रभावी एक्शन लेना चाहिए मतलब खुफिया तंत्र का अपग्रेडेशन होना चाहिए।
6. दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों की सुरक्षा के लिए इन शहरों के इर्दगिर्द सुरक्षा के ऐसे कवच का निर्माण करें कि वे किसी भी प्रकार की आपातस्थिति से निबटने में स्वतंत्र रूप से सक्षम हो सकें।
7. भेद्य क्षेत्रों जैसे कि पोरस बॉर्डर और समुद्री रास्ते आदि को मजबूत बनाना।
8. आतंकवादी हिंसा को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कानूनी प्रावधानों को अब और भी सख्त बनाने की जरूरत है।
9. आतंक की फंडिंग पर अंकुश लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
10. कश्मीर घाटी में असंतोष को दूर करने के लिए विकास और समावेशन के अलावा पाकिस्तान के साथ उलझे मसले को सुलझाना होगा।
11. अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास और व्यापक योजना के ज़रिये इसका हल ढूंढा जाना चाहिए। आतंकवाद सिर्फ़ आतंकवाद होता है, यानी इसमें 'अच्छा आतंकवाद' और 'बुरा आतंकवाद' के पूर्वाग्रह से ऊपर उठाना होगा।
12. लोकल संलिप्तता और बम बनाने के सामानों की सहज उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है, जिनसे निपटना बहुत ज़रूरी है।